न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

अपील संख्या :– आर.ए.एस
10/2020

रघुवीरसिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भैसलाना तहसील पावटा जिला जयपुर

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 24/9/2019 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 91 एल.आर एक्ट मु.नं. 31/2019 ब उनवानी सरकार बनाम रघुवीरसिंह फैसल द्वारा तहसीलदार पावटा

निर्णय

दिनांक 4.2.2021

1. यह है कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील तहसीलदार पावटा द्वारा पारित निर्णय 24/9/2019 मु.नं. 31/2019 ब उनवान सरकार बनाम रघुवीर सिंह के विरूद्वअपील पेश की है पटवारी हल्का ने अपीलान्ट द्वारा आराजी हाल ख.नं. 988 वाके मौजा भैसलाना तहसील पावटा राजकीय भूमि में 0.01 हैक्टर भूमि पर अतक्रमण कर लिया है कि रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की है, जिस पर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तल्ब किया गया। जवाब नोटिस प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 19/9/2019 को समय चाहा गया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना तथा जानकारी के बिना ही दिनांक 24/9/2019 को अपीलान्ट के विरूद्व आदेश पारित कर अपीलान्ट की मौके पर मौजूदा दुकान व चार दिवारी तोडने का आदेश प्रदान किया, जिसकी जानकारी पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय का हवाला देते हुए दुकान खाली कराने के लिए कहां तक जानकारी हुयी। अपीलान्ट ने बिना देरी किये अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रति प्राप्त कर अपील मय संलग्न दफा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।
2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24/9/2019 विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत जो खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत एवं मौखिक साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही एवं बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बाला–बाला उपरोक्त आदेश जारी किया है, जो विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
4. यह है कि अपीलान्ट ने आराजी ख.नं. 988/0.27 वाके मौजा भैसलाना की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपितु अपीलान्ट ने ग्राम भैसलाना की आबादी भूमि में ग्राम पंचायत भूरी–भडाजद्वारा जारी पट्टेशुदा भूमि की जरिये रजिस्ट्री खरीद कर मौके पर बतौर मालिक काबिज चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है अपितु अपनी खरीद की गयी पट्टेशुदा भूमि पर कदिमी से यानि खरिद के समय ही यानि 17 वर्षो से दुकान का निर्माण कर मौके पर बतौर मालिक काबिज चला आ रहा है।

5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 24/9/2019 अपीलान्ट की अनुपस्थिती में पारित किया है, जिसकी अपीलान्ट को पूर्व में कतई जानकारी नहीं थी अपितु दिनांक 17/01/2020 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए दुकान खाली करने हेतु कहने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुयी जिस पर अपीलान्ट ने बिना देरी किये नकल प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष अपील मय दफा-5 प्रार्थना-पत्र पेश की है जो अन्दर मियाद है।

6. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील सुनने व तैय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को हासिल है। अपील नियत कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24/9/2019 अन्तर्गत धारा 91 मु.नं. 31/2019 ब उनवान सरकार बनाम रघुवीर सिंह फैसल द्वारा तहसीलदार पावटा खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

7. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील मय शपथ-पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को सुनवायी हेतु नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी किये गये। बाद तामील सम्मन नोटिस प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया।

8. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि पटवारी हल्का भैसलाना ने तहसीलदार पावटा के समक्ष अपीलान्ट के विरूद्व रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम भैसलाना के आराजी ख.नं. 988 राजकीय भूमि में 0.01 है. भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को दर्ज कर अपीलान्ट/गैर सायल को जरिये नोटिस धारा 91 के तहत् तलब किया गया जिस पर अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 19/9/2019 को पेश कर साक्ष्य सबूत आदि अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य दस्तावेजात् प्रस्तुत करने के बिना अवसर दिये ही अपीलान्ट के विरूद्व मौके पर मौजुदा दुकान एवं चार दिवारी तौडने का दिनांक 24/9/2019 को निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलान्ट ने हाल खसरा नम्बर 988/0.27 वाके मौजा भैसलाना की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि ग्राम भैसलाना की आबादी भूमि में ग्रा.पं. भूरी भडा द्वारा जारी पट्टेशुदा भूमि को अपीलान्ट द्वारा जरिये विक्रय-पत्र से क्रय कर बतौर मालिक काबिज चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है यानि खरीद की गयी पट्टेशुदा भूमि कदिमी से ही मालिक काबिज अपीलान्ट 15 वर्षों से दुकान का निर्माण कर चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आबादी भूमि में जारी पट्टों की अनदेखी कर उक्त निर्णय अपीलान्ट के विरूद्व पारित किया है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश 24/9/2019 मु.नं. 31/2019 ब उनवान सरकार बनाम रघुवीर सिंह वाके ग्राम भैसलाना बाबत ख.नं. 988 रकबा 0.01 है. अपास्त फरमाया जावें।

9. पैरोकार सरकार तहसीलदार पावटा द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि ग्राम भैसलाना के आ.ख.नं. 988/0.27 है. में से 0.01 है. सरकारी भूमि पर गैर सायल/अपीलान्ट द्वारा दुकान व चार दीवारी का निर्माण करते हुए नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है तथा आज भी मौके पर अतिक्रमण है। अतः अपीलान्ट/गैर सायल को गै.मु. तलाई (सरकारी भूमि) पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमावें।

10. बहस उभय पक्षों की सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य सबूत एवं पत्रावली का अवलोकन करने एवं उभयपक्षों की प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रकरण धारा 91 के तहत् अतिक्रमण से सम्बन्धित है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम भैयलाना के आ.ख.नं. 988/0.27 है. में से 0.01 है. पर दुकान व चार दीवारी का अवैध रूप से अतिक्रमण पटवारी हल्का भैसलाना की रिपोर्ट से साबित होता है। गैर सायल/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया है परन्तु अपने समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात् पेश नहीं किये जिसमें यह सिद्व हो सके कि उक्त खसरा नम्बर में

अपीलान्ट/गैर सायल का अवैध अतिकमण नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा भी प्रस्तुत बहस व अपने समर्थन में साक्ष्य दस्तावेजात् पेश कर यह सिद्व नहीं कर पाया कि अपीलान्ट/गैर सायल का उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्वत है एवं अपील किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा पारित निर्णय 24/9/2019 मु.नं. 31/2019 ब उनवान सरकार बनाम रघुवीर सिंह वाके ग्राम भैसलाना बाबत ख.नं. 998 रकबा 0.01 है. को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हों।

12. यह निर्णय आज दिनांक 4.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)